POLITY

उपराष्ट्रपति की पदावधि
[Term of office of Vice President]

⇒ संविधान के अनुच्छेद 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष है, According to Article 67 of the Constitution, the term of the vice president is 5 years.

⇒ राष्ट्रपति को त्याग पत्र दे सकता है। Can Submit resignation to the president

त्यागपत्र ⇒ राष्ट्रपति कार्यकाल (Tenure) ⇒ 5 years / 5 वर्ष
⇓
पद ग्रहण के दिन से

यदि राज्यसभा अपने तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से उसे पदच्युत करने का प्रस्ताव पारित कर दे और लोकसभा उसे स्वीकार कर ले तो उपराष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना होगा; If the Rajya Sabha passes a resolution to remove him from office by a majority of all its then members and the Lok Sabha accepts it, the Vice president will have to resign;

Q⇒ क्या उपराष्ट्रपति 5 वर्ष के पश्चात् अपने पद पर रह सकते हैं?
↳ yes हां, जब तक नये उपराष्ट्रपति पद को ग्रहण नहीं करते हैं।

उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया
[Removal Process of Vice-president]

आधार (Ground) ⇒ संविधान में इनको हटाने का कोई आधार निश्चित नहीं है।

⇒ उपराष्ट्रपति को हटाने की शक्ति राज्यसभा को दी गयी है।

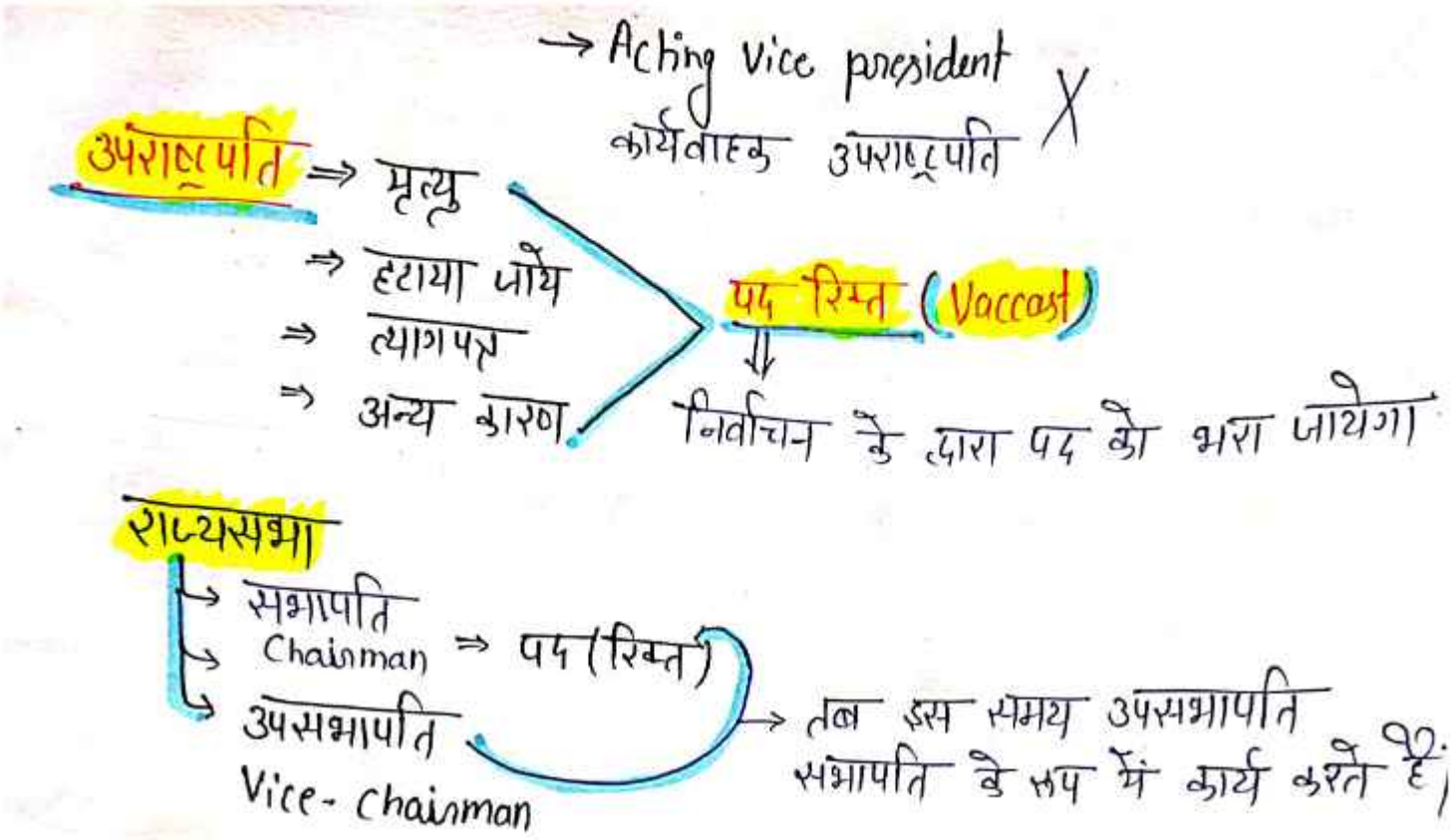
① राज्यसभा में प्रस्ताव पेश [Introduced the motion in RS]
② प्रस्ताव पर चर्चा [Discussion on the motion]
③ प्रस्ताव साधारण बहुमत से पारित [Passed the motion with Simple Majority]

RS ⇒ Pass → लोकसभा → सहमति प्रस्ताव पर।

प्रस्ताव की सूचना 14 दिन पूर्व उपराष्ट्रपति को दी जाती है।

उपराष्ट्रपति को उसकी सूचना कम से कम चौदह दिन (14) पूर्व दे दी गई हो। The Vice president has been informed at least fourteen (14) days in advance.

⇒ उसकी मृत्यु, पदत्याग या पदच्युति के कारण हुई पद रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन यथाशीघ्र (As Soon As) कराया जायेगा।
The election to fill the vacancy caused by his death, resignation or removal shall be held as soon as possible.



नया उपराष्ट्रपति पद ग्रहण की तिथि से पांच वर्ष तक अपना पद धारण करेगा। The new Vice president will hold office for a term of five years from the date on which he assumes office

संविधान में कार्यवाहक उपराष्ट्रपति नियुक्त किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। There is no provision in the Constitution for appointing an acting Vice president.

उपराष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन के योग्य होता है। वह इस पद पर अनेक बार निर्वाचित किया जा सकता है। The Vice president is eligible for re-election. He can be elected to this post multiple times.

उपराष्ट्रपति ⇒ Re- election / पुनर्निवाचन
↳ एक व्यक्ति कितनी बार उपराष्ट्रपति बन सकता है।
गी

Art. 64 ⇒ उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति (Ex-officio Chairman)

Art. 89 ⇒ राज्यसभा के एक सभापति होंगे

शपथ या प्रतिज्ञान (Oath or Affirmation)

अनुच्छेद 69.

Article 69.

शपथ - राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाते है;

Vice president take the oath front of president

वेतन एवं भत्ते [The Salary and Allowances]

अनु. 97 के तहत देय राज्य सभा के सभापति का वेतन दिया जाता है। उसे अपने पद का वेतन नहीं दिया जाता है।

The Salary of the Chairman of Rajya Sabha is paid under Article 97. He is not paid the Salary of his post

Art. 97 ⇒ वेतन ⇒ सभापति (Chairman) ⇒ 5 लाख रु०
प्रत्येक ‖ माह (Per month)
भारत की संचित निधि से दिया जाता है।

rojgar with ankit

(Pay from Consolidated fund of India)

जब उपराष्ट्रपति अनु. 65 के तहत कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तब वह राज्य सभा सभापति के रूप में कार्य नहीं करता है। When the Vice president acts as Acting president under Article. 65. he does not function as the Chairman of the Rajya Sabha.

प्रधानमंत्री + मंत्रिपरिषद (संघ)	मुख्यमंत्री + मंत्रिपरिषद (राज्य)
PM + Com	CM + Com (State)
Art. 74 ⇒ एक मंत्रिपरिषद् (Com) का गठन किया जायेगा, जिसका प्रधान (Head) प्रधानमंत्री (PM) होगा। मंत्रिपरिषद का कार्य राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सलाह एवं सहायता (Help & Advice) देना होगा।	Art 163 एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जायेगा जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। मंत्रिपरिषद का कार्य राज्यपाल को उसके कार्यों में सहायता एवं सलाह देना होगा।
Art. 75(1) ⇒ प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।	Art. 164 (1) → मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा
Appoints of PM ⇒ by the president	Appoints of CM ⇒ by the Governor.

Union Govt.

PM

MP-MLA's — Com

(राष्ट्रपति) President

Loksabha

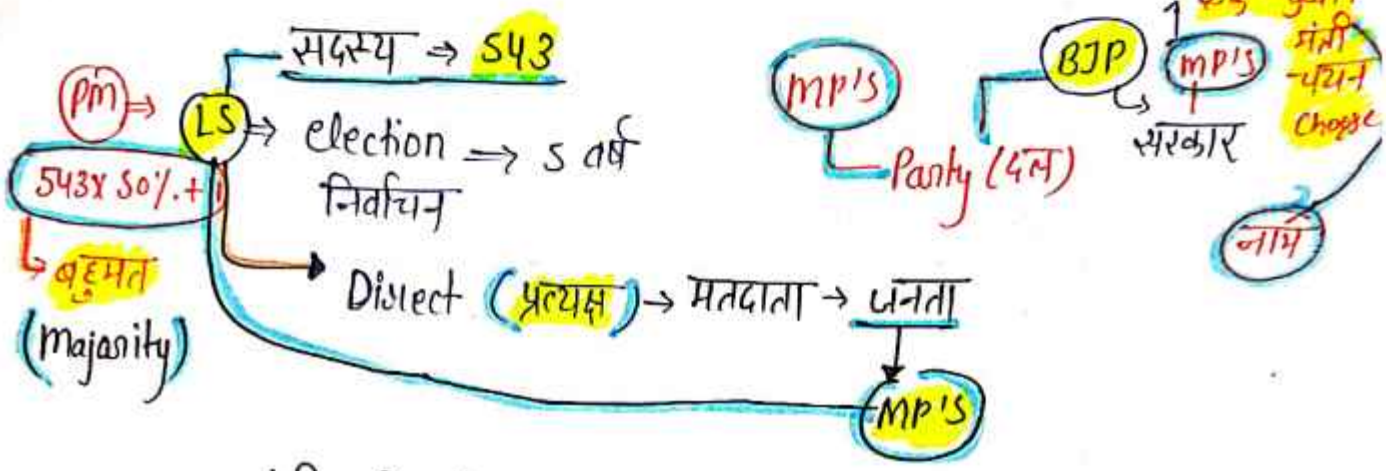
Stak Govt.

CM

Com

Governor (राज्यपाल)

विधानसभा (Legislative Assembly)



⇒ प्रधानमंत्री की नियुक्ति के पश्चात्
After Appoints of PM

① अनुसूची - 3 (Schedule-3) ⇒ PM की शपथ / Com ⇒ शपथ
Oath of PM

↓

शपथ - 2 प्रकार (type)

① पद [Post]

② गोपनीयता [Seasucy]

राष्ट्रपति शपथ दिलाते है,
PM take the oath front of President

CM की नियुक्ति के पश्चात्

शपथ ⇒ अनुसूची - 3

↳ 2 प्रकार ⇒ पद, गोपनीयत

राज्यपाल दिलाते है

Com ⇒ राज्यपाल दिलाते

↳ शपथ - अनुसूची - 3